उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़

(गोपनीय शाखा)

–::कार्यालय आदेश ::–

COVID-19 के व्यापक संक्रमण से बचाव हेतु जिला स्तर पर निम्नलिखित **Task Force** का गठन किया जाता है:–

District Public Health Surveillance Task Force

COVID-19 के व्यापक संक्रमण (Local Transmission & Community Transmission) के रोकथाम हेतु संदिग्ध मरीजों की पहचान तथा COVID-19 के मरीज के सम्पर्क में आये। अन्य व्यक्तियों की पहचान एवं उनकी गत दिनों की यात्रा विवरणी के आधार पर सम्भावित सम्पर्क स्थलों की पहचान करना आवश्यक है। ऐसे सम्भावित व्यक्तियो को Home Quaranitine तथा आवश्यक मामलों मे Goverment Qarantine में रखना अनिवार्य है। संक्रमित COVID-19 व्यक्तियों के आवासीय स्थल के परिधि मे Cluster Containment करने की आवश्यक रहती है। इस संबंध में निम्नरूपेण Task Force का गठन किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम / पदनाम	अभ्युक्ति
1	उप विकास आयुक्त, रामगढ़	अध्यक्ष
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़	सदस्य
3	जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़	सदस्य
4	पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, रामगढ़	सदस्य
5	जिला अवर निबंधक, रामगढ़	सदस्य
6	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़	सदस्य
7	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जे0एस0एल0पी0एस0, रामगढ़	सदस्य
8	डी0पी0सी0, सिविल सर्जन कार्यालय, रामगढ़	सदस्य

Task Force के दायित्व एवं कर्त्तव्य :–

1. जिल स्तर पर संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों का Home Quarantine Protocol, Cluster Containment Protocol, Contact Tracing Protocol तथा अन्य प्रणालियों का संघन गुणवत्ता पूर्वक प्रशिक्षण तथा नियमित Mockdrill सुनिश्चित करना।
2. Home ~~Quarantine~~ में नामित व्यक्तियों का संबंधित ~~जमीनी स्तर~~ पर नियमित निगरानी करना तथा उल्लंघन की परिस्थिति में आवश्यक दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि Quaranitine व्यक्ति का किसी भी रूप में सामाजिक बहिश्कार नहीं किया जा रहा है तथा उसे आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ यथा सम्भव घर पर ही उपलब्ध हो रही है।
4. Home Quarantine हेतु आवश्यक Geo Location प्राप्त करने हेतु यथा आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करना तथा इस संबंध में भारत सरकार की ईकाईयों से समन्वय स्थापित करना।
5. Contact Tracing हेतु जिला प्रशासन, नगर निकाय, पंचायती राज संरचना, गैर सरकारी इकाईयाँ इत्यादि के साथ समन्वय स्थापित करना।
6. संबंधित कार्यों में डाटा संग्रहण, डाटा विश्लेषण तथा डाटा हस्तातरन हेतु यथा आवश्यक टीमों का गठन तथा प्रशिक्षण।
7. उपलब्ध मार्ग दर्शिका के अनुरूप सम्भावित व्यक्तियों का Government Quarantine में भर्ती कराना तथा Quarantine Center में आवश्यक परिचालक सेवाएँ (मेडिलकल जांच, खाना, स्वच्छता, मनोरजन इत्यादि) उपलब्ध कराना। विदित हो कि इन केन्द्रो

के अधिष्ठापन का कार्य Medical response Management Task Force के अनुश्रवण में तथा परिचालन का कार्य Public health Surveillance Task Force के अनुश्रवण में किया जाएगा।

8. Medical Response Management Task Force से प्राप्त सवंमित व्यक्तियों की सूची के आधार पर Contact Tracing का कार्य सुनिश्चित करना तथा Cluster में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक डोर टू डोर स्क्रीनिंग का कार्य सुनिश्चित करना।
9. ग्राम स्तर पर होने वाली कोई भी न्यूमोनिया Pneumonia Breath संबंधित बीमारी के कारण असामयिक मृत्यु का त्वरित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।
10. उक्त कार्य में आवश्यक रक्षात्मक परिधान, उपकरण जैसे Hand Held Thermometers की उपलब्धता तथा रोगी वाहन की संबद्धता सुनिश्चित करना।
11. इस विषयक राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा लिखित/VC में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।

Lockdown Implementation Task Force

Lockdown के संबंध में सरकार द्वारा Disaster Management Act, 2005 के अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। उल्लंघन की शिकायत प्राप्त होने पर सुधारात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई भी की जानी है। जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन की अवधि में निर्गत किये जा रहे Passes का पर्यवेक्षण करना तथा इस संबंध में Public Grievances का तीव्र निराकरण भी आवश्यक है। इस हेतु निम्नरूपण Task Force का गठन किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम/पदनाम	अभ्युक्ति
1	अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़	अध्यक्ष
2	छावनी अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, रामगढ़ कैन्ट।	सदस्य
3	पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, रामगढ़	सदस्य
4	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रामगढ़	सदस्य
5	श्री डॉगुर कोड़हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़	सदस्य

Task Force के दायित्व एवं कर्त्तव्य :–

1. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Lockdown से संबंधित आदेश सं0–40-3/2020-DM I(A) दिनांक 24.03.2020 में अंकित के दिशा निदेर्शो का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना।
2. भारत सरकार के NDMA, गृह मंत्रालय एवं Cabinet सचिवालय से निर्गत विभिन्न आदेश एवं दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना। इस हेतु समिति जिलों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी के सतत् संपर्क करना एवं समन्वय स्थापित करना।
3. संक्रमण की गति को कम करने हेतु आवश्यक Social Distancing सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करना।
4. आवश्यकतानुसार लॉकडाउन से संबंधित विषयों पर भ्रमण की स्थिति होने अथवा प्रखण्डों से प्राप्त पृच्छा के आलोक में मार्गदर्शन प्राप्त करना।
5. सीमावर्ती जिलों के साथ विभिन्न विषयों यथा मालवाहक वाहनों का परिचालन सुनिश्चित कराने तथा व्यक्तियों का आवागमन रोकने हेतु सहयोग के लिए समन्वय स्थापित करना।
6. अन्य Task Force के साथ समन्वय बनाकर राज्य सरकार के समक्ष दूसरे जिलों/राज्यों से सहयोग से संबंधित विषयों का रखना।
7. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न परिवहन एवं वितरण संबंधी बिन्दुओं का पर्यवेक्षण एवं उनका ससमय निकारण सुनिश्चित करना।
8. लॉकडाउन के पश्चात के Exit Plan का प्रस्ताव तैयार करना तथा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

9. सरकार को Control Room को भेजे जाने वाली विभिन्न Reports को विहित प्रपत्र में ससमय भेजा जाना।
10. इस विषयक VC के दौरान सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन कराना।

Public Awareness and Grivance Redressal Task Force

COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम करने के लिए आमजनों में उचित प्रथाओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की आवाश्यकता है। इस संक्रमण से बचने के लिए जिला स्तर पर किये जा रहे प्रयासो की जानकारी Electronic & Print Media के माध्यम से आमजन तक पहुंचाया जाना भी महत्वपूर्ण कार्य है। Lockdown में आ रही समस्याओं का निराकरण करना भी आवश्यक है। जिले में फंसे अन्य जिला/राज्यों से एकाकीकृत समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। इसके अलावा सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त गै0स0प0सं0–1979 दिनांक–02.04.2020 के अनुपालन मे राज्य स्तरीय Fact Check Unit की स्थापना करने की आवश्यकता है। इन कार्यो के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु निम्नरूपेण Task Force का गठन किया जाता है:–

क्र0सं0	नाम/पदनाम	अभ्युक्ति
1	अपर समाहर्त्ता, रामगढ़	अध्यक्ष
2	जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़	सदस्य
3	श्री उज्जवल सोरेन, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़	सदस्य
4	श्री शशांक कुमार, ए0पी0आर0ओ0, रामगढ़	सदस्य
5	मो0 जाहिद अख्तर शेख, टीम लीड पी0एम0यू0 (डी0एम0एफ0टी0) एवं डी0एम0एफ0टी0 टीम	सदस्य

Task Force के दायित्व एवं कर्त्तव्य :–

1. COVID-19 के संबंध में सघन आई0ई0सी0 अभियान का संचालन तथा Social distancing सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवहारिक बदलाव हेतु प्रिंट मिडिया, सोशल मिडिया, स्थानीय भाषा में वीडीयों एवं ऑडियो क्लीप्स की रचना तथा इसका अधिकाधिक प्रचार–प्रसार।
2. COVID-19 के संबंध में दैनिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करना तथा आवश्यकतानुसार उचित स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेन्स आयोजित करना।
3. जिला स्तरीय Fact Check Unit के स्थापना करना तथा राज्य सरकार के स्तर पर गठित समारूपित युनिट के साथ समन्वय स्थापित करना।
4. प्रीन्ट एवं सोशल मिडिया में प्रकाशित गलत सूचना/अफवाह/भ्रामक जानकारी का नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई करना तथा ऐसे अफवाहों का त्वरित गति से खण्डन जारी करना। यदि कोई भी नकारात्मक प्राप्त सूचना तथ्यात्मक रहती है, वैसी परिस्थिति में संबंधित से समन्वय स्थापित कर उचित कार्रवाई करना।
5. राज्य नियंत्रण कक्ष (181 श्रम विभाग अवस्थित प्रवासी श्रमिक कन्ट्रोल रूम 104) का संचालन तथा अनुश्रवण एवं राज्य सरकार के CPGRAMS पर प्राप्त शिकायतों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराना।
6. जिला नियंत्रण कक्ष तथा अन्य जिलों के जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम के सम्पर्क विवरणी तथा राज्य स्तर पर गठित COVID-19 संबंधी कन्ट्रोल रूम की सम्पर्क विवरणी संग्रहण।
7. प्राप्त शिकायतों के तीव्र निष्पादन हेतु समय एवं गुणवता का मानकीकरण तय करना तथा इन मानको के आधार पर जिला स्तर से शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करना।

ह0/–
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।

ज्ञापांक 307 /गो०　　　　　　　　रामगढ़, दिनांक 10/04/2020

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, रामगढ़/उप विकास आयुक्त, रामगढ़/अपर समाहर्त्ता, रामगढ़/सिविल सर्जन, रामगढ़/अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़/पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, रामगढ़/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पतरातू/ छावनी अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, रामगढ़ कैन्ट/ जिला अवर निबंधक, रामगढ़/जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़/ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जे0एस0एल0पी0एस0, रामगढ़/डी0पी0सी0, सिविल सर्जन कार्यालय, रामगढ़/ डी0पी0सी0, सिविल सर्जन कार्यालय, रामगढ़/ कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, रामगढ़/ श्री डॉगुर कोड़हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़/ जिला परिवहन पदाधिकारी, रामगढ़/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़/सहायक आयुक्त उत्पाद, रामगढ़/वाणिजयकर उपायुक्त, रामगढ़/ श्री उज्जवल सोरेन, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़/ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़/ जिला कल्याण पदाधिकारी, रामगढ़/जिला योजना पदाधिकारी, रामगढ़/जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़/जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रामगढ़/ श्रम अधीक्षक, रामगढ़/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, रामगढ़/जिला कृषि पदाधिकारी, रामगढ़/परियोजना निदेशक, आत्मा, रामगढ़/जिला मत्स्य पदाधिकारी, रामगढ़/अवर निबंधक, गोला/ जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, रामगढ़/सभी कार्यपालक अभियंता, रामगढ़ जिला/सभी कार्यालय प्रधान, रामगढ़ जिला/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी अंचल अधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, रामगढ़ जिला/ श्री शशांक कुमार, ए0पी0आर0ओ0, रामगढ़/ मो0 जाहिद अख्तर शेख, टीम लीड पी0एम0यू0 (डी0एम0एफ0टी0) एवं डी0एम0एफ0टी0 टीम को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

10/4/2020

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
रामगढ़।